

आखिरी जांच: 26 सितंबर 2026

महाराष्ट्र का Domicile Certificate कैसे बनवाएं

आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाणपत्र तहसीलदार देते हैं। आप आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं और 20 रुपये फीस भरते हैं।

आवेदन: ऑनलाइन या कार्यालय में

फीस: 20 रुपये

समय: 15 दिन (तय समय)

आधिकारिक पोर्टल: राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन

आधिकारिक स्रोतों में फ्रक है। पोर्टल के सेवा पेज पर 'No Documents Required' लिखा है, पर आधिकारिक चेकलिस्ट में पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, निवास का प्रमाण और स्व घोषणा पत्र बताए गए हैं। आवेदन के समय पोर्टल जो सूची दिखाए, उसे पढ़ें।

सीधा जवाब

आपले सरकार पोर्टल पर पंजीकरण करें, राजस्व विभाग चुनें, फिर सेवा आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाणपत्र चुनें। फॉर्म भरें, कागजात अपलोड करें, 20 रुपये फीस भरें और जमा करें। तय समय 15 दिन है। तहसीलदार की मंजूरी के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र पोर्टल से डाउनलोड करें।

शुरू करने से पहले क्या चाहिए

- OTP के लिए मोबाइल नंबर
- आधार से यूजर आईडी बनानी हो तो आधार नंबर, या अपनी प्रोफाइल बनानी हो तो OTP के लिए मोबाइल नंबर
- पंजीकरण के समय अपलोड करने के लिए आपकी फोटो, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण
- सेवा शुल्क के 20 रुपये, ऑनलाइन भरने के लिए

चरण दर चरण

- आपले सरकार पोर्टल खोलें और पंजीकरण करें।** aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाएं और पंजीकरण चुनें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।** एक तरीका चुनें: आधार नंबर (UID) से सत्यापन करें, या मोबाइल पर आए OTP से अपनी प्रोफाइल बनाएं।
- अपनी जानकारी भरें और पंजीकरण पूरा करें।** अपनी जानकारी और पता भरें, OTP से मोबाइल नंबर और यूजर नाम सत्यापित करें, और अपनी फोटो, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अपलोड करें। फिर पंजीकरण पूरा करें।
- राजस्व विभाग चुनें।** पंजीकरण के बाद बाएं पैनल में राजस्व विभाग चुनें।
- सेवा चुनें।** उप विभाग की सूची में राजस्व सेवाएं चुनें और आगे बढ़ें दबाएं। फिर सेवा आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाणपत्र चुनें।
- कागजातों की सूची पढ़ें।** कागजातों की सूची पढ़ें, फिर आगे बढ़ें दबाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें।** प्रमाणपत्र का प्रकार चुनें। फिर आवेदक की जानकारी, आवेदक का पता, लाभार्थी की जानकारी, वर्तमान पता, जन्म की जानकारी, शिक्षा की जानकारी और लाभार्थी के प्रवास की जानकारी भरें।
- घोषणा स्वीकारें और जमा करें।** घोषणा स्वीकार करें और आवेदन जमा करें।
- कागजात अपलोड करें।** नीचे की सूची के कागजात अपलोड करें।
- फीस भरें और पूरा करें।** 20 रुपये सेवा शुल्क ऑनलाइन भरें और आवेदन पूरा करें।

कागजात

पहचान का प्रमाण (कोई एक)

- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- RSBY कार्ड
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
- सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था का पहचान पत्र

पते का प्रमाण (कोई एक)

- पासपोर्ट
- पानी का बिल
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- टेलीफोन बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली का बिल
- संपत्ति कर की रसीद
- 7/12 और 8A का उतारा, या किराए की रसीद

निवास का प्रमाण (कोई एक)

- तलाठी का निवास प्रमाण
- ग्रामसेवक का निवास प्रमाण
- बिल कलेक्टर का निवास प्रमाण

चेकलिस्ट में निवास दिखाने वाले दूसरे कागज़ात भी हैं, कोई एक: पानी, टेलीफोन या बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की रसीद, संपत्ति कर की रसीद, 7/12 और 8A का उतारा, विवाह प्रमाणपत्र, या पति का निवास प्रमाण।

आयु का प्रमाण, केवल नाबालिग के लिए (कोई एक)

- SFC प्रमाणपत्र
- बोनाफाइड प्रमाणपत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- पिता का अधिवास प्रमाणपत्र
- प्राथमिक स्कूल की प्रविष्टि का उतारा

इसके साथ भी चाहिए (सभी)

- स्व घोषणा पत्र
- ऊपर बताए कागज़ातों के अलावा विभाग द्वारा बताया कोई अन्य कागज़

आवेदन के बाद

- तहसील क्लर्क आपका फॉर्म, कागज़ात और भुगतान ऑनलाइन जांचता है।
- कुछ ठीक करना हो तो क्लर्क टिप्पणी के साथ सुधार का अनुरोध भेजता है। टिप्पणी के अनुसार सुधारकर आवेदन दोबारा जमा करें।
- सब ठीक हो तो आवेदन अव्वल कारकून के पास और फिर तहसीलदार के पास जाता है, और दोनों उसी तरह ऑनलाइन जांच करते हैं।
- तहसीलदार की मंजूरी के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र जारी होता है। उसे पोर्टल से डाउनलोड करें।
- सेवा में देरी हो या इनकार हो तो अपील कर सकते हैं। पहली अपील उप विभागीय अधिकारी को और दूसरी अपर कलेक्टर को जाती है।
- अपने आवेदन को देखने के लिए आपले सरकार पोर्टल पर Track your Application चुनें और आवेदन करते समय मिला Application ID डालें।
- प्रमाणपत्र असली है या नहीं जांचने के लिए पोर्टल पर Verify Your Authenticated Certificate चुनें और उस पर छपा 18 अंकों का बारकोड मान डालें।
- लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 के तहत सेवाओं के सवालियों के लिए आप चौबीस घंटे चलने वाले टोल फ्री नागरिक कॉल सेंटर 1800 120 8040 पर फोन कर सकते हैं।

आधिकारिक पोर्टल: <https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en>

आधिकारिक स्रोत: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/pdf/Fees,%20Procedure,%20Checklist_Domicile%20Certificate.pdf

LABHLO: <https://labhlo.in/hi/guides/maharashtra-domicile-certificate/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी मंच है। यह मार्गदर्शिका आधिकारिक स्रोत का सारांश है, सरकारी दस्तावेज़ नहीं। नियम, फीस और वेबसाइट बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल देख लें।